

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जोरघन बनाम छोट बगैरा

28/1/25

पत्रायली पेश हुई/पकील यादी/प्रतिमधी/अपीलार्थी/रेसपोन्डेंट/प्राथी/जजार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठरीन अधिकारी भण पर हैं/आपकाय पर हैं/अन्य कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।
अतः पत्रायली पूर्वानुसार दिनांक...10/3/25 को पेश हो।

शेखर

10/3/25

वकील उभयपक्ष 3701 वारुते तलवी पत्रायली दिनांक 21/4/25 को पेश हो। *Shankar*

21-4-25

Tarun

वकील उभयपक्ष 3701 7-2. शर्मा पत्र वकील उभयपक्ष को पुरा गमा। अर्थाथी सं. 1, 2 की ओर से प्रस्तुत अर्थाथ काउन्टर क्लेम को शर्मा ने अर्थाथ प्रस्तुत करने से इंकार किया है। अतः अर्थाथ क्लेम को अर्थाथ को अवसर समाप्त किया जाता है। 7-2. शर्मा पत्र पर उभयपक्ष के अर्थाथ अर्थाथ गण को पुरा गमा। प्रस्तुत अर्थाथ को अवलोकन किया गया। नक्का नमबर्दी सं. 2073-76 खाता सं. 95 के अनुसार भूमि ख. नं. 972 रकबा 0.53 है। ग्राम खानपुर बडोदा प्राथी एवं अर्थाथी सं. 1 ता 4 की संयुक्त व्यापारियों में दर्ज है। अतः इस खसरा नम्बर की मोंक न रिकार्ड की हिसाबि ब्यावत बगैरा रखने हेतु उभयपक्ष के वकील सहमत हैं। फलस्वरूप उभयपक्षों के जस्टि अर्थाथी निषेधाज्ञा माफेंड किया जाता है कि वे मूल नड निर्णय होने तक भूमि ख. नं. 972 रकबा 0.53 है। ग्राम खानपुर बडोदा की मोंक न रिकार्ड की हिसाबि ब्यावत बगैरा रखें। पत्रायली निर्णय शुमार होकर नम्बर सं. 44 की एवं मूल नड के साथ बगैरा रहे।

Shankar
उपखण्ड अधिकारी
गंगपुर सिटी (राज.)